उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-160/2017/49अ0मु0स0/92-2-17-42जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 31 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के नवीन हाईस्कूल भवन थरी विकास खण्ड-माल में बरती गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिय प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-112/2017/921/ 92-2-17-42जांच/2017 दिनांक 11-07-2017 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र संख्या-776/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जांच/श्री सत्येन्द्र कुमार/सहा0अभि0/ 2017-18 दिनांक 03-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी जांच आख्या में जांच अधिकारी ने प्रश्नगत निर्माण कार्य को अपचारी अधिकारी, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, सहायक अभियंता के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व का कार्य बताते हुये श्री यादव को उक्त कार्य हेतु उत्तरदायी नही बताया गया है। अतएव श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, सहायक अभियंता के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-112/2017/921/92-2-17-42जांच/2017 दिनांक 11-07-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-160/2017/49अ0मु0स0/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in